

किरेन रीजीजू  
KIREN RIJIJU



मंत्री  
विधि एवं न्याय  
भारत सरकार  
MINISTER  
LAW AND JUSTICE  
GOVERNMENT OF INDIA

## संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

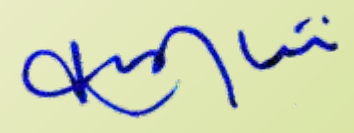
भाषा किसी भी देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं दार्शनिक पहलुओं को जानने और समझने का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम होती है। कोई भी देश अपनी भाषा के बिना सामाजिक, पारंपरिक एवं साहित्यिक धरोहर को सहेज कर नहीं रख सकता। भाषा देश की सभ्यता एवं संस्कृति की संवाहक होती है।

हिंदी सदियों से संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के सार्वदेशिक एवं सर्वग्राह्य स्वरूप ने इसे हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा बनाया। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन शहिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा हिंदी संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की भावना को आम जनता में निरंतर जागृत रखा है। हिंदी ने अपने सरल, सहज एवं सर्वसमावेशी स्वरूप के बल पर भारतीय संस्कृति और साहित्य को जीवंत बनाए रखा है।

यह प्रसन्नता की बात है कि शहिंदी दिवस के अवसर पर विधि कार्य विभाग शाखा सचिवालयों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विधि आयोग तथा आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और विविध हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सबके सम्मिलित प्रयासों से हमारे सरकारी कामकाज में हिंदी नई ऊर्जा और गति के साथ आगे बढ़ेगी।

जय हिंद!

  
(किरेन रीजीजू)

14 सितंबर, 2022  
नई दिल्ली



प्रो. एस.पी. सिंह बघेल  
PROF. S.P. SINGH BAGHEL



राज्य मंत्री  
विधि एवं न्याय  
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR  
LAW & JUSTICE  
GOVERNMENT OF INDIA

## संदेश

14 सितम्बर, 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। प्रत्येक वर्ष इस दिन को हम 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सर्वाधिक नागरिकों द्वारा हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश की प्राचीन संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। यह हमारे आम नागरिकों की सहज रूप से बोलने व समझने की भाषा है। हिंदी भाषा की सरलता एवं भावाभिव्यक्ति में मौलिकता के कारण विश्व के देशों के नागरिकों में भी हिंदी भाषा सीखने, हिंदी साहित्य पढ़ने, लिखने व बोलने का आकर्षण बढ़ रहा है।

यह वर्ष अमृत काल का पहला वर्ष है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण का संकल्प दिया है। इन पंच प्रणों में से एक हमारे अंदर से हर प्रकार की गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है और हमें अपने मानक स्वयं बनाने हैं। इस प्रण को पूरा करने में हिंदी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में काम करते हुए एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को आगे बढ़ाते हुए राजकाज में अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग कर हमें गर्व महसूस करना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन हेतु गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विधि कार्य विभाग में 'हिंदी दिवस' के अवसर पर 14 से 29 सितम्बर, 2022 तक 'हिंदी पखवाड़ा' के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और विभाग के शाखा सचिवालयों और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विधि आयोग और आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों में भी विविध आयोजन किए जा रहे हैं। आप सभी इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लें।

मुझे आशा है कि इस अमृत काल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेरणा और प्रोत्साहन से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। जिस दिन शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में होने लगेगा, उस दिन हमारी 'विविधता में एकता' और मजबूत होगी।

हिंदी दिवस की आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद!

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

नई दिल्ली  
हिन्दी दिवस, 14 सितम्बर, 2022

डॉ. नितेन चन्द्र, भा.प्र.से.

सचिव

Dr. Niten Chandra, IAS

Secretary



सत्यमेव जयते



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW & JUSTICE  
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

## संदेश

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2022 से 29 सितंबर, 2022 तक 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। विभाग के शाखा सचिवालयों और नियंत्रणाधीन आयकर अपीलीय अधिकरण की पीठों और विधि आयोग में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना, हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वातावरण बनाना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें हिंदी शिक्षण सॉफ्टवेयर, अनुवाद ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, श्रुतलेखन, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि हिंदी के कार्य में प्रगामी प्रगति सुनिश्चित हो सके।

मैं हिंदी पखवाड़ा के दौरान होने वाले आयोजनों की सफलता की कामना करते हुए विभाग व उसके शाखा सचिवालयों तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करना सुनिश्चित करेंगे।

(नितेन चंद्र)

नई दिल्ली

हिंदी दिवस, 14 सितंबर, 2022